# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
# कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.

**E-mail—pccfwl@mp.gov.in**

## काले हिरण व चिंकारा के शिकार कर अतंराज्जीय स्तर पर तस्करी करने वाले संगठित गिरोह का आरोपी आजाद एवं सबाह की जमानत याचिका माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर द्वारा ख़ारिज

प्रेस विज्ञप्ती (**07/26,** दिनांक **09.02.2026)**

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स इकाई इंदौर द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) म.प्र. महोदय के निर्देश पर वनमण्डल इंदौर एवं स्थानीय पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए किशनगंज जिला इंदौर से वन्यजीवों के मॉस की तस्करी करने वाले 03 आरोपियों को 65 कि.ग्रा. (लगभग), 01 नग देसी पिस्टल, 03 जिंदा कारतूस एवं 01 नग चार पहिया वाहन टोयोटा इनोवा क्रिस्टा क्रमांक एम.एच-02-ई.पी.-4223 के साथ भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं वन्यजीव (संरक्षण) 1972 की विभिन्न धाराओं में वनमण्डल इंदौर के अंतर्गत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 675/09 दिनांक 03.12.2024 दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये वन्यजीव मुख्यालय द्वारा इस प्रकरण को अग्रिम विवेचना हेतु स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) इकाई इंदौर को हस्तांतरित किया गया। एसटीएसएफ द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए वैज्ञानिक तकनीकी की सहायता से उक्त आरोपियों एवं इनके गिरोह के विरूद्ध कई महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किये है। जिससे यह पुष्टि होती है कि प्रकरण में लिप्त गिरोह के द्वारा दुर्लभ वन्यजीव काले हिरण, चिंकारा एवं सांभर का भारी मात्रा मे शिकार प्रदेश के भीतर व अन्य राज्य में किया गया है। स्टेट टाइगर स्ट्राइक फ़ोर्स इकाई इंदौर द्वारा मध्यप्रदेश के संरक्षित वन क्षेत्र से वन्यजीवों का शिकार कर उनके मांस की अंतरराज्यीय स्तर पर संगठित रूप से तस्करी करने वाले गिरोह के विरूद्ध प्राप्त नवीन साक्ष्यों के आधार पर एक नया प्रकरण क्रमांक POR No. 237/22 दिनांक 21.08.25 दर्ज कर विवेचना की जा रही है। विवेचना में प्रकरण में गिरफ्तार तीन आरोपियों से रिमांड के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर वन्यजीवों के शिकार में प्रयुक्त आग्नेयशास्त्र एवं कारतूस भारी मात्रा में जप्त किये गए थे। उक्त प्रकरण में आरोपी आजाद एवं सबाह लगभग पिछले 03 माह से न्यायिक अभिरक्षा में है एवं पूर्व प्रकरण में गिरफ्तार 03 आरोपी पिछले 14 माह से न्यायिक अभिरक्षा में है। वर्तमान में प्रकरण में कुल 06 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

उक्त प्रकरण में आरोपी आजाद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर जमानत याचिका MCRC 56353/2025 एवं आरोपी सबाह द्वारा जमानत याचिका MCRC 5598/2026 दायर की गयी। माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के समक्ष स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश इकाई इंदौर द्वारा शासन का ठोस पक्ष रखा गया एवं अन्य प्रकरणों जैसे अरनेश कुमार विरूद्ध बिहार राज्य में पारित आदेश एवं उक्त प्रकरण के महत्वपूर्ण तथ्यों से अगवत कराया गया तथा आरोपियों की मोबाईल फारेन्सिक रिपोर्ट से प्राप्त शिकार के साक्ष्यों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर द्वारा स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश इकाई इंदौर द्वारा की गई सटीक विवचेना एवं रखे गए ठोस पक्ष के आधार पर उक्त जमानत याचिका खारिज की गई। प्रकरण में अग्रिम विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल